न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी रूबी अंसार R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः–39 / 2023

निर्णय दिनांक :–04.02.2026

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

1. बदरी लाल पुत्र रामकिशन जाति कुमावत उम्र बालिग निवासी गैरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. मोहनलाल पुत्र रतनलाल जाति कुमावत उम्र बालिग निवासी गैरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. सोहनलाल पुत्र रतनलाल जाति कुमावत उम्र बालिग निवासी गैरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
4. नाथी देवी पत्नि कमलेश जाति कुमावत उम्र बालिग निवासी गैरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0।

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. तहसीलदार दूनी जिला टोंक राज0
2. कन्या पत्नि शोजी जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी गैरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. कन्या पत्नि सुखलाल उर्फ कालूराम जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी गैरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
4. कमलेशी पत्नि स्व0 रामजीलाल जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी गैरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
5. गंगा पुत्री लाला जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी गैरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
6. प्रेमदेवी पुत्री गोपी जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी गैरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
7. भगवान पुत्र माता पुष्पा जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी गैरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
8. भागचन्द पुत्र सुखलाल उर्फ कालूराम जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी गैरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
9. महेन्द्र पुत्र शोजी जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी गैरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
10. राजू पुत्र सुखलाल उर्फ कालूराम जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी गैरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
11. राजा बाई पत्नि प्रहलाद जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी गैरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
12. लेखराज पुत्र शोजी जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी गैरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
13. विकाश पुत्र रामजी लाल जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी गैरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0

Ruby

14. नाबालिग विशाल पुत्र रामजी लाल जरिये संरक्षक माता कमलेशी पत्नि स्व0 रामजीलाल जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी गैरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
15. विष्णु पुत्र शोजी जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी गैरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
16. नाबालिग शिवानी पुत्री रामजी लाल संरक्षक माता कमलेशी पत्नि स्व0 रामजीलाल जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी गैरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
17. सोना पुत्री सुखलाल उर्फ कालूराम जाति गुर्जर निवासी गैरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
18. हीरा पुत्री माता पुष्पा जाति गुर्जर निवासी गैरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0

उपस्थिति :–

श्री राजेश जैन
श्री प्रतीक जैन
अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिववक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ता 5, 9 ता 10, 12 ता 18
एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध प्रति0 संख्या 6 ता 8, 11
तहसीलदार देवली

<u>प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 ए राज0 टीनेन्सी एक्ट</u>

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खसरा नं0 1102 रकबा 0.18 है0 एवं प्रार्थी संख्या 2 व 3 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी भूमि खसरा नं0 1099 रकबा 0.44 है0 एवं प्रार्थीया संख्या 4 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी भूमि खसरा नं0 1103 रकबा 0.19 है0 वाके तन ग्राम गैरोली प0ह0 गैरोली तहसील दूनी, जिला टोंक में स्थित है। प्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है। प्रार्थीगण ने अपनी–अपनी आराजी भूमि मे आने जाने हेतु आपसी सहमति से खसरा नं0 1109 एवं खसरा नं0 1110 मे से खसरा नं0 1102 मे आने जाने हेतु रास्ते की मांग की है जिसके लिये यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के न्यायालय मे पेश है। राजस्व रिकार्ड मे आराजी खसरा नं0 1192 रकबा 0.41 है0, खसरा नं0 1110 रकबा 0.55 है0 अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 18 की खातेदारी की भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है तथा खसरा नं0 1110 के अड़वा ही पूर्व दिशा की तरफ आम रास्ता है। प्रार्थीगण अपनी उक्त वर्णित खातेदारी की आराजी भूमि पर खसरा नं0 1110 के अड़वा पूर्व दिशा की ओर स्थित आम रास्ता से खसरा नं0 1110 एवं 1109 मे से होकर आते जाते रहे है तथा उपयोग उपभोग करते आ रहे है तथा अपने कृषि संबंधी यन्त्र भी इसी रास्ते से होकर लाते ले जाते है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खेत मे जाने का अन्य कोई वेकल्पिक रास्ता नही है। राजस्व रिकार्ड मे आने जाने का रास्ता नही होने के कारण प्रार्थीगण को काफी पेरशानी

Ruby

का सामना करना पड़ रहा है तथा अपनी भूमि को काश्त नही कर पा रहे है। प्रार्थीगण को अपनी उक्त वर्णित आराजीयात पर आने जाने के लिये खसरा नं0 1110 के अड़वा पूर्व दिशा की ओर स्थित आम रास्ता से खसरा नं0 1110 एवं 1109 मे से होकर खसरा नं0 1102 तक 20 फीट चौड़ा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है जिसके लिये यह प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीगण नियमानुसार एवं आदेशानुसार राशि जमा कराने के तैयार है।

अतः संशोधित प्रार्थना पत्र धारा 251(ए) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खसरा नं0 1102 रकबा 0.18 है0, खसरा नं0 1099 रकबा 0.44 है0 एवं खसरा नं0 1103 रकबा 0.19 है0 वाके वाके ग्राम गैरोली प0ह0 गैरोली तहसील दूनी, जिला टोंक राज0 पर आने जाने के लिये खसरा नं0 1110 के अड़वा पूर्व दिशा की ओर स्थित आम रास्ता से खसरा नं0 1110 एवं 1109 मे से होकर खसरा नं0 1102 तक 20 फीट चौड़ा रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 5, 9, 10, 12 ता 18 की ओर से निम्न प्रकार से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार गुप्ता ने जवाब पेश किया जो निम्न प्रकार है :– प्रार्थना पत्र का चरण नं0 1 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नं0 2 गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थीगण कभी भी अपने खातेदारी के खसरा नं0 1102 मे खसरा नं0 1109 व 1110 मे से आते जाते नही रहे है। प्रार्थना पत्र का चरण नं0 3 गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नं0 4 गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नं0 5 गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थीगण के खातेदारी के खेत मे जाने के लिये वर्तमान मे खसरा नं0 1093 व 2833/1100 मे से आ जा रहे है तथा इसी रास्ते से अपनी जमीन मे आकर फसल काश्त कर रहे है। पूर्व मे सरसो की फसल भी इसी रास्ते से आकर काश्त की थी। प्रार्थना पत्र का चरण नं0 6 गलत है, स्वीकार नही है। अप्रार्थीगण के खातेदारी के खेत 1110 मे कमरा बना रखा है जिस पर चद्दर डले हुये है जिसमे अप्रार्थीगण करीब 5 वर्ष से परिवार सहित निवास कर रहे है। वहां पर कोई रास्ता नही है। प्रार्थीगण कभी भी अपने खातेदारी के खसरा नं0 1102 मे खसरा नं0 1109 व 1110 मे से कभी भी आये गये नही है और ना ही रास्ते के रूप मे उपयोग किया है। आराजी भूमि खसरा नं0 1109 रकबा 0.41 है0, खसरा नं0 1110 रकबा 0.55 है0 के 17 खातेदार काश्तकार है और प्रत्येक खातेदार के हिस्से मे एक या 2 जमीन आ रही है। यदि उक्त जमीन मे से रास्ता दे दिया गया तो अप्रार्थीगण की खातेदारी मे कुछ भी जमीन नही रहेगी। प्रार्थना पत्र का चरण नं0 7 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नही है। प्रार्थना पत्र मे चाही गयी अधियाचना भी गलत है, स्वीकार नही है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार दूनी द्वारा बिन्दुवार मौका रिपोर्ट पेश की गई जो निम्नानुसार है :– प्रार्थी की अपनी आराजी पर पहुंचने के लिए राजस्व रिकार्ड में अन्य कोई

Ruby

वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक है। प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते के अलावा अन्य कोई लघुत्तम दूरी का रास्ता प्रस्तावित नही किया जा सकता। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता रिकार्डेड रास्ते ख0 नं0 1147 ग्राम गैरोली से नयागांव जाने वाले रास्ते से जुड़ा हुआ है। ख0नं0 1110 में लम्बाई मे 64 मीटर चौड़ाई 5 मीटर एवं खसरा नं0 1109 में लम्बाई 40 एवं चौड़ाई 5 मीटर यानि कुल 520 वर्गमीटर प्रस्तावित है। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि ग्राम गैरोली डीएलसी दर 587611/—रूपये प्रति है0 है तथा डीएलसी दर से दुगुनी प्रतिकर राशि 61115/— रू0 भुगतान योग्य है। आराजी आवेदक के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी द्वारा ख0नं0 1109 एवं 1110 वाके ग्राम गैरोली से होकर रास्ता चाहता है, जिसे नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से चिहिन्त कर दिया गया है। प्रस्तावित रास्ते के शुरूआत में 8 x15 फीट में 3 फीट उचांई की पक्की नींव भरी हुई है। जो रास्ते में बाधक है, जिसे हटाये बिना रास्ता दिया जाना संभव नही है। अप्रार्थीगण उक्त रास्ता दिये जाने के लिये सहमत नहीं है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है।

अतः मौका रिपोर्ट , मूल ट्रेस नक्शा, जमाबंदी की प्रमाणित प्रतियां, संलग्न कर निमयमानुसार कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

पत्रावली का अवलोकन किया। **अधिवक्ता उपभयपक्ष एवं तहसीलदार दूनी के जवाब/रिपोर्ट की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट में प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खसरा नं0 1102 रकबा 0.18 है0, खसरा नं0 1099 रकबा 0.44 है0 एवं खसरा नं0 1103 रकबा 0.19 है0 वाके ग्राम गैरोली प0ह0 गैरोली तहसील दूनी, जिला टोंक राज0 में पहुंचने के लिए अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है एवं प्रार्थीगण की आवश्यकता आत्यंतिक है परंतु ख0न0 1110 में से प्रस्तावित रास्ते के शुरूआत में 8 x15 फीट में 3 फीट उचांई की पक्की नींव भरी हुई है। अतः प्रस्तावित रास्ते के मध्य दीवार इत्यादि सरंचना होने से प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत नही होता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) के प्रावधानो के अनुरूप नहीं होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।**

निर्णय सरे इजलास को सुनाया गया।

Ruby

उपखण्ड अधिकारी
देवली

उपखण्ड अधिकारी
देवली